# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0**

**राजस्व वाद संख्या : 117/2014**

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. ढगलाराम पुत्र भोलाराम | | 1. भींयाराम पुत्र सूरजमल |
| 2. गेपरराम पुत्र भोलाराम | | 2. रामपाल पुत्र सूरजमल |
| 3. बादरराम पुत्र भोलाराम | | 3. अर्जुन पुत्र सोहनलाल |
| जातियान–बावरी, निवासी–पिपलियाखुर्द, | | 4. मोहन पुत्र चिमनाराम |
| तहसील–जैतारण, जिला–पाली | | 5. प्रताप पुत्र जेठाराम फौत के कायम मुकाम :– 5/1 कुनाई पुत्री प्रताप |
| | | 6. हरदेव पुत्र जेठाराम फौत के कायम मुकाम :– 6/1 जोगाराम पुत्र हरदेवराम |
| | | 7. भूण्डाराम पुत्र बंशीराम |
| | | 8. राकेश पुत्र बंशीराम |
| | | 9. रामनिवास पुत्र बंशीराम |
| | | 10. जगदीश पुत्र बंशीराम |
| | | 11. लक्ष्मण पुत्र बंशीराम |
| | | 12. मनीष पुत्र बंशीराम |
| | | 13. सुमित्रा पुत्री बंशीराम |
| | | 14. सायता पुत्री बंशीराम |
| | | 15. नर्बदा पत्नि बंशीराम जातियान–बावरी, निवासीगण–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण, जिला–पाली |
| | | 16. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली |

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** तारीख रजू:.03/06/2014

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

**–:: निर्णय ::–** दिनॉकः– 11/02/2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 7 से लगायत 15 की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 161 रकबा 15–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 37–18 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण 3/8वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं 1/2वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्य 3 का हैं तथा 1/8वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 7 से लगायत 15 का हैं। इसी माफिक खातेदारों का मौके पर कब्जा काश्त व हक व अधिकार हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की खातेदार व कब्जा काश्त की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

12–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 419 रकबा 8–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल किता–2 कुल रकबा 20–06 बीघा की आई हुई हैं। जिसके वादीगण 3/16वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की 3/4वां हिस्सा हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 15 का 1/16वां हिस्सा हैं। इसी माफिक मौके पर खातेदारों का कब्जा काश्त व हक व अधिकार भी हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 14–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण का 3/48वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 3/12वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 का 2/3वें हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 15 का 1/48वां हक हिस्सा हैं एवं इसी माफिक मौके पर पक्षकारान् का कब्जा काश्त व हक व अधिकार हैं। इस प्रकार से इन उपर वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबन्दी इस आराजी की वाद–पत्र के पेश हैं। इस आराजी को वाद–पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की उक्त वर्णित अनुसार संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। उक्त विवादित भूमि की प्रत्येक इंच हिस्से व भू–भाग पर वादीगण को माफिक अपने हक हिस्सा अनुसार हक व अधिकार प्राप्त हैं। मौके पर वादीगण का कब्जा व काश्त भी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 इस वादग्रस्त भूमि के नापचौंप व बंटवाड़ा को लेकर कई बार विवाद कर रहे हैं। वादीगण ने अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाह रहे हैं। इस बाबत् वादीगण ने अपनी संयुक्त व शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादीगण भींयाराम वगैरह से कई बार निवेदन किया। तब प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करवाने का कहते रहे। लेकिन दिनांक 01/04/2014 को प्रतिवादीगण भींयाराम ने इस संयुक्त व शामलाती भूमि का बंटवाड़ा करवाने से ईन्कार कर दिया हैं। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी, जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं। वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख–पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाड़ा आवश्यक हैं। लेकिन प्रतिवादीगण भींयाराम व अन्य द्वारा नहीं मानने एवं आराजी के बंटवाड़ा को लेकर के वाद विवाद भी करने पर वादीगण के पास ऐसी विषम परिस्थितियों में यह वाद–पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद–पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण भींयाराम वगैरह इस संयुक्त व शामलाती पैतृक व पुश्तैनी आराजी का बंटवाड़ा करवाये बिना ही अजनबी क्रेता को अपना हक हिस्सा बेचान करना चाह रहे हैं तथा मौके पर अजनबी क्रेता को बिना बंटवाड़ा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा सौंपने को भी आमादा हैं। इस बाबत् प्रतिवादीगण भींयाराम व रामपाल आदि ने गांव में कई बार ऐलानिया कथन भी किया हैं। इस प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेकाबिज करने को भी आमादा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 मौके पर जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर वादीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि में बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण भूमि अकेले ही दबा लेना चाह रहे हैं। दिनांक 01/04/2014 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया कथन किया कि इस सम्पूर्ण भूमि वह अकेले ही बोयेगें। जबकि इस सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

फसल बोने का प्रतिवादीगण भींयाराम वगैरह को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं न ही विशिष्ट भू-भाग का कब्जा करने की प्रतिवादीगण भींयाराम व अन्य अधिकारी हैं। फिर भी यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। जिससे वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 7 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 11, 12 जो कि नाबालिग हैं एवं इस वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं, जिनके विरूद्ध वाद-पत्र उनकी माता नर्बदा को कुदरती वलीया बनाकर के प्रस्तुत किया जा रहा हैं। जिसकी अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 01/04/2014 को प्रतिवादीगण भींयाराम व अन्य द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने व कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर बमुकाम-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4, 5/1, 6/1, 7 से 9, 11, 12, 15 व 16 को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 29/09/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलियाखुर्द में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 7 से लगायत 15 की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 22-00 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 161 रकबा 15-18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 37-18 बीघा, **इसी प्रकार** वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की खातेदार व कब्जा काश्त की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 12-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 419 रकबा 8-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल किता-2 कुल रकबा 20-06 बीघा एवं **इसी प्रकार** वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 14-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/2105 दिनांक 21/11/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/9671/ दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

22/12/2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

## –:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 एवं 7 से लगायत 15 की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 425 रकबा 22–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 161 रकबा 15–18 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 37–18 बीघा, **इसी प्रकार** वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की खातेदार व कब्जा काश्त की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 12–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 419 रकबा 8–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल किता–2 कुल रकबा 20–06 बीघा एवं **इसी प्रकार** वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 14–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ढ़गलाराम पुत्र भोलाराम कौम–बावरी सा0 देह खातेदार।<br>रहन–एसबीबीजे शाखा–निमाज | 425/2<br>161/1<br>164/1<br>419/1<br>108/1 | 1-07-00<br>1-00-00<br>0-15-00<br>0-10-00<br>0-06-00 | बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0 | 0.83 रु.<br>0.62 रु.<br>0.46 रु.<br>0.31 रु.<br>0.18 रु. |
| | **योग** | **5** | **3-18-00** | **बा0अ0** | **2.40 रु.** |
| 2 | गेपरराम पुत्र भोलाराम कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 425/3<br>161/2<br>164/2<br>419/2<br>108/2 | 1-07-00<br>1-00-00<br>0-15-00<br>0-10-00<br>0-06-00 | बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0 | 0.83 रु.<br>0.62 रु.<br>0.46 रु.<br>0.31 रु.<br>0.18 रु. |
| | **योग** | **5** | **3-18-00** | **बा0अ0** | **2.40 रु.** |
| 3 | बादरराम पुत्र भोलाराम कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 425/4<br>161/3<br>164/3<br>419/3<br>108/3 | 1-07-00<br>1-00-00<br>0-15-00<br>0-10-00<br>0-06-00 | बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0<br>बा0अ0 | 0.83 रु.<br>0.62 रु.<br>0.46 रु.<br>0.31 रु.<br>0.18 रु. |
| | **योग** | **5** | **3-18-00** | **बा0अ0** | **2.40 रु.** |
| 4 | अर्जुन पुत्र सोहन, भूण्डाराम राकेश रामनिवास जगदीश लक्ष्मण मनीष सुमित्रा सायता पि0 बंशी, नर्मदा पत्नि स्व. बंशी कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 425 | 17-19-00 | बा0अ0 | 11.12 रु. |

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | अर्जुन पुत्र सोहन, भूण्डाराम राकेश रामनिवास जगदीश लक्ष्मण मनीष सुमित्रा सायता पि0 बंशी, नर्मदा पत्नि स्व. बंशी कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 161 | 12-18-00 | बा0अ0 | 8.00 रू. |
| 6 | भीयाराम रामपाल पि0 सुरजमल, रामपाल पुत्र सुरजमल, भूण्डाराम राकेश रामनिवास जगदीश लक्ष्मण मनीष सुमित्रा सायता पि0 बंशी, नर्मदा पत्नि स्व. बंशी, मोहन पुत्र चीमना, अर्जुन पुत्र सोहन कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 164<br>419 | 9-19-00<br>6-12-00 | बा0अ0<br>बा0अ0 | 6.16 रू.<br>4.09 रू. |
| | **योग** | **2** | **16-11-00** | **बा0अ0** | **9.25 रू.** |
| 7 | प्रताप हरदेव पि0 जेठा 2/3, भीया रामपाल पि0 सुरजमल, रामपाल पुत्र सुरजमल, , भूण्डाराम राकेश रामनिवास जगदीश लक्ष्मण मनीष सुमित्रा सायता पि0 बंशी, मोहन पुत्र चीमना, अर्जुन पुत्र सोहन कौम–बावरी सा0 देह खातेदार। | 108 | 13-12-00 | बा0अ0 | 8.43 रू. |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/02/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली